न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2022-189(GCMS2022-335)

1. हडमानराम पुत्र भारमलराम
2. पुनाराम पुत्र भारमलराम
3. केसी पत्नी भारमलराम
4. परमा पत्नी पुनाराम

सभी जाति विश्नोई, निवासीगण जगरामसर
तहसील लोहावट जिला जोधपुर
(वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. कानाराम पुत्र बरसिंगाराम
2. किसनाराम पुत्र बरसिंगाराम
3. भाखराम पुत्र बरसिंगाराम

जातियान विश्नोई, निवासीगण जगरामसर
तहसील लोहावट जिला जोधपुर
(वर्तमान जिला फलोदी)

4. बंशीलाल पुत्र जगमालराम
5. डूँगरराम पुत्र जगमालराम
   - 5.1. विकास पुत्र डूँगरराम
   - 5.2. मुकेश पुत्र डूँगरराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता शारदा
   - 5.3. शारदा पत्नी डूँगरराम

   जातियान विश्नोई, निवासीगण भजन नगर
   तहसील लोहावट जिला जोधपुर
   (वर्तमान जिला फलोदी)
6. समदा पुत्री जसवंतारम जाति विश्नोई
   निवासी बरकाणा, तहसील रानी
   जिला पाली
7. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लोहावट
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 09 जून 2022 प्रकरण संख्या 100/2022 अनवान कानाराम व अन्यबनाम समदा आदि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा प्रकरण संख्या 100/2022 अनवान कानाराम व अन्य बनाम समदा आदि में पारित आदेश दिनांक 09 जून 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 1533 रकबा 4.5163 हैक्टेयर वाके ग्राम भजननगर तथा खसरा संख्या 1336/1 रकबा 3.4722 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1336/2 रकबा 8.1261 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1337 रकबा 3.2699 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1338 रकबा 3.3751 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1339 रकबा 2.3310 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1340 रकबा 1.7321 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1341 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1342 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1343 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1344 रकबा 2.6305 हैक्टेयर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं खसरा संख्या 1353 रकबा 3.6826 हैक्टेयर वाके ग्राम जगरामसर बाबत प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 03 जून 2022 को संस्थित किया जाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश सीपीसी के आदेश 39 नियम 3(ए) के प्रावधानों के अनुरूप पारित नहीं किया गया है और अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिन्दु बाबत भी समुचित विचार नहीं किया गया है। अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार काश्तकार है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट्स के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलाण्ट्स हिस्से अनुसार अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमि पर काश्त एवं किसान केडिट कार्ड आदि में गम्भीर गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार है और उन्हें यदि वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर दिया जाता है तो निश्चय ही रेस्पो. को गम्भीर असुविधा एव अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के हितों को संरक्षित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, न्यायहित में संयुक्त खातेदारी की भूमि एवं उसके सहखातेदारान को स्वत्व एवं अधिकारों को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है। मगर पक्षकारान को अपने-अपने हिस्से अनुसार काश्त संबंधित कार्यो से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 अगस्त 2022 संशोधित करते हुए उभय पक्षकारान को अपने हक-हिस्से की भूमि में कृषि कार्य एवं किसान केडिट कार्ड आदि की कार्यवाही बाबत छूट प्रदान की जाती है। अन्य प्रयोजनार्थ अपीलाधीन आदेश प्रभावी रहेगा। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का आगामी दो माह की अवधि में निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर